न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–199 सन् 2026

CNR No.–UPSN01–000636–2026

प्रदीप कुमार मौर्या उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र रामदुलार मौर्या, निवासी रैमलपुर, थाना भदोही, जनपद–भदोही। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–420 सन् 2025
धारा–303(2), 317(2) एवं 317(4)
भारतीय न्याय संहिता, थाना सुरियांवा,
जनपद–भदोही।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त प्रदीप कुमार मौर्या की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–420 सन् 2025, धारा–303(2), 317(2) एवं 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना–सुरियांवा, जनपद–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि प्रार्थी शैलेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र रामनरेश मौर्या निवासी भदरी मलाक हरहर थाना सोरांव जनपद प्रयागराज का मूल निवासी है। वर्तमान समय में अवर अभियन्ता के पद पर 33/11 केवी उपकेन्द्र सुरिवावां पर नियुक्त है। दिनांक 22.12.2025 को 33/11 के०वी० उपकेन्द्र सुरियावां के अन्तर्गत ग्राम कौड़र में 2 स्पैन की LT लाईन तथा ग्राम चकिया (चौथार) में 5 स्पैन LT लाईन 20.12.2025 को अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसकी सूचना ग्रामवासियों द्वारा दी गयी। अतः आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आधार जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि पुलिस द्वारा आवेदक को झूंठे तौर पर प्रकाश में लाकर वांछित किया गया है। आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। तथाकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है और आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदक को सह अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ ज्ञानू के बयान के आधार पर उसका नाम प्रकाश में लाया गया है। मुकदमे से सम्बन्धित कथित बरामदगी दिनांक 28.01.2026 को धौरहरा से विवेकानन्द चौराहा पर जाने वाले मार्ग की कही गयी है जो व्यस्ततम स्थल है, परन्तु मुकदमे से सम्बन्धित कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। आवेदक के पास से

उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित कोई माल बरामद नहीं हुआ है, ना ही चोरी का सामान बेचने का कोई साक्ष्य ही प्राप्त हुआ है। उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित फर्द बरामदगी में पुलिस द्वारा सी.सी.टी. वी.फुटेज दिखाने की बात कही गयी है,किन्तु पुलिस के पास कोई सी.सी.टी.वी.फुटेज नहीं है,जिससे आवेदक की संलिप्तता मुकदमे में पायी जाये। आवेदक ने न कभी विद्युत तार की चोरी किया है, ना ही उसके पास से कोई माल बरामद हुआ है और न उसने कभी कोई चोरी के सामान का लेन–देन किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि विवेचनात्मक कार्यवाही में अब तक किये गये साक्ष्य संकलन से आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्तगण सुधीर सिंह उर्फ ज्ञानू तथा संदीप गुप्ता उर्फ मुन्ना के कब्जे से एक टाटा मैजिक गोल्ड (छोटा हाथी) वाहन संख्या UP66 T1251 में 3 कुन्तल एच टी तार एल्युमिनियम का तथा 8 किग्रा एल टी केवल व अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद मोबाइल व 2000 रूपया माल मुकदमाती एवं 500 रूपया जामा तलाशी से बरामदगी हुई है। अभियुक्त विजली के तार की चोरी की घटना में संलिप्त था और दौरान गिरफ्तारी सहअभियुक्त के साथ मौका पाकर फरार हो गया था। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि मामले में विवेचना अभी प्रचलित है तथा अभियुक्त की अग्रिम जमानत होने पर वह अग्रिम जमानत का दुरुपयोग करते हुए साक्ष्य तथा साक्षियों को प्रभावित करेगा तथा उसके पलायन करने की पूर्ण संभावना है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.01.2026 को के०वी० उपकेन्द्र सुरियावां के अन्तर्गत ग्राम कौड़र में 2 स्पैन की LT लाईन तथा ग्राम चकिया (चौथार) में 5 स्पैन LT लाईन को चोरी करने का आरोप है। केस डायरी के पर्चा संख्या–6 में यह अंकना है कि गिरफ्तार सहअभियुक्त सुधीर सिंह ने बताया कि वह पिछले एक–डेढ़ साल से बिजली विभाग में ठेकेदारी पर काम करता है तथा वह प्रदीप के कहने पर वह लोग जनपद में भिन्न–भिन्न स्थानों पर घूम टहलकर रेकी करते थे तथा रात में तार काटकर चुरा लेते थे। प्रदीप मौर्या व उसका साथी नाम पता अज्ञात खम्भे पर चढ़ने व तार काटने में माहिर हैं। जबकि केस डायरी के साथ फोटो संलग्न है जिसमें अभियुक्तगण मैजिक पर लदे तार के साथ हैं तथा सी.सी.टी.वी. फुटेज से मैजिक की फोटो दिनांक 20.12.2025 समय 03:18 की सी.सी.टी.वी. कैमरे से ली गयी फोटो पत्रावली पर दाखिल है। आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध सामान्य जनमानस के विरुद्ध किया गया आर्थिक व गम्भीर अपराध है।

7. अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता हो कि आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गलत तथा आधारहीन है। यहाँ पर न्याय दृष्टांत **गुरु वक्श सिंह सिब्बिया आदि बनाम पंजाब राज्य तथा सरबजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1980 उच्चतम न्यायालय 1632** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गय है कि

मात्र साधारण गलत आरोप लगाये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को इस तथ्य का समाधन करना होगा कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गलत तथा आधारहीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत की शक्ति न्यायालय का विशेषाधिकार है, जिसको सावधानी से विशेष मामलो में प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर न्याय दृष्टांत **पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय निर्णय दिनांकित 05.09.2019** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत की शक्ति को विशेष मामलों में जहाँ आरोपित मामला गलत एवं आधारहीन हो, वहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए।

8. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त प्रदीप कुमार मौर्या की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–420 सन्2025, धारा–303(2), 317(2) एवं 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना–सुरियांवा, जनपद–भदोही के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–10.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court